"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2026 — पौष 19, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक–FINACC-3602/838/2025-GAD-5.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ के पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए मासिक सम्मान निधि नियम, 2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उपरोक्त नियम में –

नियम 3 (सम्मान का स्वरूप) में– अंक तथा शब्द ''5,000/– (पांच हजार रूपये मात्र)'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''10,000/– (दस हजार रूपये मात्र)'' प्रतिस्थापित किया जाये।

2. उपरोक्त संशोधन दिनांक 01–04–2025 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.